संख्याः 736 / कार्मिक–2 / 2003

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन।
समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष।
सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल।

कार्मिक–2 देहरादूनः दिनांकः 3 जून, 2003

महोदय,

मा0 उच्चतम् न्यायालय ने सिविल अपील संख्या–4347–54 / 1990 उत्तर प्रदेश, सड़क परिवहन निगम वनाम उत्तर प्रदेश परिवहन निगम शिक्षित बेरोजगार संघ में दिनांक 12 जनवरी, 1995 को पारित निर्णय में सफलतापूर्वक अप्रेन्टिस–शिप पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के अवसर पर अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा को वरीयता दिये जाने, उन्हें आयु सीमा में छूट दिये जाने तथा सेवायोजन कार्यालय से उनके नाम मगाये जाने या पंजीकृत किये जाने की शर्तों को शिथिल किये जाने से संबंधित निम्नांकित सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैंः–

i. किसी विभाग के अन्तर्गत प्रशिक्षु के रूप में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के अन्य बात के समान रहते हुए सीधी भर्ती के अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा, संबंधित विभाग की रिक्तियों हेतु, वरीयता प्रदान की जायेगी।

ii. प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के नाम सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से मंगाये जाने या सेवायोजन कार्यालय में उनके नाम पंजीकृत होनें की अनिवार्यता होने की शर्त (यदि कहीं हो) शिथिल की जाय।

iii. प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को यथाआवश्यक अधिकतम् आयु सीमा से छूट प्रदान की जाय।

iv. संबंधित संस्थानों द्वारा अपने अधीन प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं की एक सूची तैयार की जाय तथा पूर्व प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को बाद में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं से बरिष्ठ माना जाय अर्थात प्रशिक्षुओं में उस व्यक्ति को वरीयता दी जाय जिसने पहले प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

2. शासन के समक्ष यह प्रश्न आया कि सफलतापूर्वक अप्रैन्टिसशिप पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए निर्धारित चयन परीक्षा में सम्मिलित हुए बगैर मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश में वरीयता देने के सिद्धान्तों के अनुरूप नियुक्ति में वरीयता दी जायेगी। सफलतापूर्वक अप्रेन्टिस–शिप पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का यह मामला मा.उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुज्ञा याचिका (सी.) संख्या 7406/2000 निर्णीत दिनांक 9.5.2000 (ए.आई.आर.–2000) एस.सी. 2621 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अप्रेन्टिस वेलफियर एसोसियेशन व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा.उच्चतम न्यायालय के विचारण के लिए पहुंचा था, जिसमें मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि अप्रेन्टिस–शिप पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा/साक्षात्कार की प्रकिया से गुजरना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 1995 को दिये गये निर्णय में वरीयताओं का लाभ दिया जायेगा। अप्रेन्टिसों को परीक्षा प्रकिया से गुजरने के संबंध में उपरोक्तानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है।

शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा 12 जनवरी 1995 के उपरोक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और इस हेतु संबंधित सेवा नियमावली में भी कोई संशोधन की अपेक्षा हो तो कृपया तत्काल सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन भी सुनिश्चित कर लिया जाय।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव।